(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 911—एक/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—04—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 98/ए/2004—05/अपील

.....

कामेश पुत्र बैजनाथ दीक्षित
निवासी—ग्राम अंडियाकंला
तहसील— ग्यारसपुर, जिला—विदिशा (म0प्र)

.....आवेदक

विरूद्ध

घसीटा पुत्र बबरा हरिजन
निवासी—ग्राम अंडियाकला
तहसील— ग्यारसपुर, जिला—विदिशा (म0प्र)

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल द्वार पारित आदेश दिनांक 07—04—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कामेश द्वारा अनावेदक घसीटा से ग्राम अंडियाकला, तहसील ग्यारसपुर की पट्टे से प्राप्त भूमि सर्वे क्रमांक 522 रकबा 1.045 हैक्टर पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 19.05.1992 को क्रय की गई। नायब तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा कलेक्टर न्यायालय, विदिशा को इस आदेश की जानकारी दी गयी कि प्रश्नाधीन भूमि सरकारी पट्टे पर दी गयी भूमि है, जिसे विक्रय हेतु अनावेदक द्वारा न्यायालय

कलेक्टर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.04 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.05.92 को निरस्त कर भूमि शासन में वेष्ठित की गयी । इसी आदेश से परिवेदित होकर अपील न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल में प्रस्तुत की गयी है, जो प्रकरण क्रमांक 98/ए/2004–05/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 07.04.2007 द्वारा अपील अस्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रथम तो विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के द्वारा कलेक्टर को प्रदान नहीं कि ा गया है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार माननीय दीवानी न्यायालय को होने से कलेक्टर द्वारा पारित क्षेत्राधिकारता विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कलेक्टर द्वारा इस विक्रय पत्र को निरस्त किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि को पट्टे की भूमि होने का कोई अभिवचन नहीं है। अनावेदक द्वारा न तो पट्टा पेश किया गया है जिससे यह सिद्ध ो सके कि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है। पट्टा पेश न होने की स्थिति में यह ा नहीं माना जा सकता कि उस भूमि को विक्रय करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता थी। कलेक्टर व आयुक्त द्वारा इस परिस्थिति पर विचार किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किये गये है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है एवं उसका हस्तान्तरण बिना कलेक्टर की अनुमति के नह किया जा सकता तो भी ऐसी स्थिति में कलेक्टर को विक्रय–पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि संहिता की धारा 165 (7–ख) की किसी शर्त का पालन नहीं हुआ है तो ऐसा विक्रय–पत्र शून्यकरणीय है, जिसे इस आधार पर निरस्त करने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर के पास नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड पर न तो पट्टा है जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया ा सके कि उपरोक्त भूमि पट्टे की भूमि है फिर भी यदि प्रश्नाधीन आदेशों के अनुसार यह मान भी लिया जावे कि उपरोक्त भूमि बीस सूत्रीय कार्यक्रय के अन्तर्गत आवंटित की गई थी, तो भी ऐसे आवंटन के पश्चात आवंटी को भूमिस्वामी अधिकारों की प्राप्ति हो जानी है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमिस्वामी को अन्तरण करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दू पर ध्यान न देते हुये विक्रय–पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का भलीभांति परिशीलन किया गया । कलेक्टर न्यायालय की प्रकरण नस्ती में संलग्न नायब तहसीलदार, गुलाबगंज के प्रतिवेदन दिनांक 24.04.98 का अवलोकन किया गया, जिसमें दिनांक 08.12.82 को पट्टा न्यायहित में जारी किया जाना, दिनांक 06.07.85 द्वारा पट्टा निरस्त किया जाना एवं वर्ष 85–86 में उक्त पट्टे की पुनर्स्थपना किया जाना उल्लेखित किया गया है। नायब तहसीलदार की रिर्पोट के अनुसार आवेदक की हैसियत उक्त पट्टे पर अतिक्रामक की हैसियत थी एवं उसके द्वारा अनावेदक पर विक्रय हेतु दबाव डाला गया । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण नस्ती में व्यवहार न्यायालय वर्ग–2, विदिशा के आदेश दिनांक 15.03.89 तथा माननीय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश विदिश के आदेश दिनांक 24.03.92 की छायाप्रतियां संलग्न पाई गई, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक का स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त किया गया है। कथित विक्रय पत्र । कहीं भी अनावेदक शासकीय पट्टेदार होने अथवा कलेक्टर, विदिशा की उक्त शासकीय पट्टे की विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय की प्रकरण नस्ती में अनावेदक घसीटा के कथन अंकित किये गये है कि उसे आवेदक एवं उसके मित्र परेशान करते रहें है, मामला व्यवहार न्यायालय में भी चला। दो बाद अनावेदक के पक्ष में फैसला हुआ । अनावेदक गरीब, मजदूर वर्ग का होने से 4–5 वर्ष पूर्व उसके द्वारा केस लड़ने में असमर्थ होने से रजिस्ट्री कर दी गई और रजिस्ट्री से पहले उसके द्वारा कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा जो प्रश्नाधीन भूमि का क्रय किया गया है, वह सद्भाविक क्रय की श्रेणी में नहीं आता है एवं विधि अनुसार बिना कलेक्टर की अनुमति के शासकीय पट्टे को क्रय किया गया है। अतः वैधानिक क्रय की श्रेणी में भी उक्त अंतरण नहीं आता है, जिसे अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय, विदिशा के आदेश दिनांक 30.09.04 स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है एवं म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) के अंतर्गत विधिक रूप से उचित निष्कर्ष निकाले गये है। अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा विवेचनापूर्ण अपने आदेश में इस आदेश की पुष्टि की है। अपर आयुक्त के द्वारा पारित किये गये आदेश से सहमत हूँ। अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2007 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर